डिक्री मूल वाद पत्र

(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :–अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 110/2024

राजीव कुमार पुत्र दलीप कुमार जाति जाट साकिन पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

–– वादी

–:: **बनाम** ::–

1.दलीप पुत्र बीरबल जाति जाट साकिन पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2.सरोज पुत्री दलीप जाति जाट साकिन पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. पूनम पुत्री दलीप जाति जाट साकिन पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. अन्जू पुत्री दलीप जाति जाट साकिन पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. चन्द्रकला पुत्री दलीप जाति जाट साकिन पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

–– प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

–::निर्णय::–

वादी की ओर से श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 की ओर से श्री प्रेम कुमार अधिवक्ता इस वाद मे आज दिनांक को **अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद निम्नानुसार घोषणा की जाती है:–
प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि चक 41 एनडीआर के खाता सं. 5 के प.नं. 78/344 के किला नं. 8 ता 10,14/2 की कुल 0.886 हैक्ट. व चक 4 ए.आर.डब्लयू. के खाता सं. 110 के प.नं. 95/334 के किला नं. 1, 10,11, 20, 21/2, 22/2 की कुल 1.468 हैक्ट. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा में स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह निर्णय आज दिनांक 08/10/2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.09 10:06:17 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा